PLAN SHOWING THE PROPOSED PLOTTED RESIDENTIAL LAYOUT OF "VENKET SAI PARISAR" AT MOUZA- MANGELA, KH.NO.808/1,809/1/1, P.C.No. 72, TEHSIL PANAGAR DISTT.JABALPUR, (M.P.)
PROJECT NAME- "VENKET SAI PARISAR"

OWNER & DEVLOPER TO
SHRI RAMESH NAIDU
S/O LATE S.VENKET RAO NAIDU

LAYOUT PLAN
SCALE : 1:1000

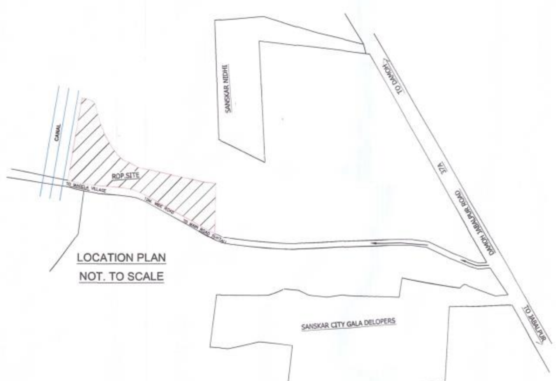

LOCATION PLAN
NOT. TO SCALE

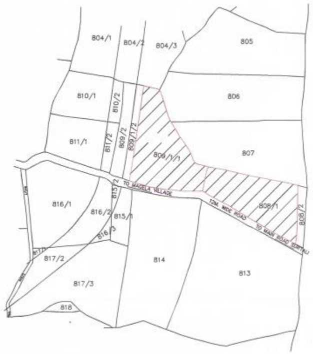

KHASARA PLAN
SCALE : 1:4000

GOOGLE MAP

NOTE -: THAT WE HAVE PROVIDED A SUFFICIENT SIZE DRAIN ON 12MTS. WIDE FRONT ROAD TO ACCO MODATE RAIN STORM WATER OF THE SURROUNDING AREA AND IF REQUIRED WE CAN PROVIDE ADDITIONAL DRAIN FOR STORM RAIN WATER TO AVOID WATER LOGGIN IN SURROUNDING AREA OF ORE LAND.

AREA STATEMENT

Khasra No.	Area Hect.	
KH.NO.-808/1	1.1406	
KH.NO.-809/1/1	1.3006	
TOTAL	2.4412	

TOTAL LAND AREA FOR THIS PROPOSAL	24412	Sq.mt.	
CUT OF LAND AREA	316.174	Sq.mt.	
NET LAND AREA FOR THIS PROPOSAL	24095.83	100	%
PLOT AREA	14152.18	58.73	%
AREA UNDER ROAD	7089.531	29.42	%
OPEN (GARDEN)	2409.58	10.00	%
SERVICE AREA	361.44	1.50	%
TOTAL NO. OF PLOT	128		
E.W.S. & L.I.G. REQUIRED			
TOTAL PLOTTABLE (SALEABLE) AREA (PLOT AREA =14152.18 SQMT.)	14152.18	Sq.mt.	
REQUIRED 6% AREA FOR EWS & LIG OF TOTAL PLOTTABLE AREA	849.13	Sq.mt.	
3%EWS	424.57	Sq.mt.	
3%LIG	424.57	Sq.mt.	
AREA PROVIDED FOR LIG	453.23	Sq.mt.	
AREA PROVIDED FOR EWS	435.17	Sq.mt.	

EWS STATEMENT

S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQMT
E-01	ODD SIZE	35.23
E-02	ODD SIZE	43.07
E-03	ODD SIZE	42.03
E-04	ODD SIZE	42.31
E-05	ODD SIZE	43.25
E-06	ODD SIZE	44.17
E-07	ODD SIZE	44.40
E-08	ODD SIZE	44.23
E-09	ODD SIZE	44.06
E-10	ODD SIZE	52.43
TOTAL		435.17

LIG STATEMENT

S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQMT
L-01	ODD SIZE	57.43
L-02	ODD SIZE	48.70
L-03	ODD SIZE	49.33
L-04	ODD SIZE	49.96
L-05	ODD SIZE	50.59
L-06	ODD SIZE	51.22
L-07	ODD SIZE	51.42
L-08	ODD SIZE	50.32
L-09	ODD SIZE	44.28
TOTAL		453.23

Ar. Neeraj Agrawal
C.O.A NO: 96/19351
23JAB-GTPO71124255

OWNER SIGNATURE

DESIGN UNIT
ARCHITECTS,INTERIOR DESIGNERS
JABALPUR - FF- 7, RAJUL COMPLEX, AGA CHOWK,
PH. 0761-2441465, Mo. 9425156116
email : designunit333@gmail.com

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, नरसिंहपुर
म.प्र.ब्लॉक-15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)
Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in Phone No. 0761-2401981

क्रमांक..425.../नग्रानि/एल/23/24.10.2024 जबलपुर, दिनांक ..03.. /03/2025

प्रति,

श्री रमेश नायडू पिता स्व. श्री एस. बैकटराव नायडू,
निवासी- 492, शांति नगर, सिंधी धर्मशाला के पास,
दमोह नाका, जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषयः- ग्राम मंगेला, प.ह.नं. 72, तहसील पनागर जिला जबलपुर के खसरा क्रमांक 808/1 एवं 809/1/1 कुल रकवा 2.4412 हेक्टेयर भूमि पर धारा 16(5) के अंतर्गत विकास अनुज्ञा बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 24.10.2024 एवं प्रस्तुत जानकारी।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम मंगेला, प.ह.नं. 72, तहसील पनागर जिला जबलपुर के खसरा क्रमांक 808/1 एवं 809/1/1 कुल रकवा 2.4412 हेक्टेयर भूमि पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 902 से 908 जबलपुर, दिनांक 07.06.2023 द्वारा विकास अनुज्ञा जारी की गई थी। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16(5) के तहत प्राप्त संदर्भित आवेदन के परिपेक्ष्य में म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3)(तीन) के तहत दिनांक 14.01.2025 को दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित संशोधन हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। उक्त सूचना में उल्लेखित कालावधि में कोई आक्षेप, सुझाव या दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए। प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया, स्थल पर पहुंच मार्ग उपलब्ध है। परीक्षणोपरांत, आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु जबलपुर विकास योजना 2021, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) के प्रावधान अनुसार संशोधित विकास अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियमों/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

(1) मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956

(2) नजूल कार्यालय, जबलपुर

(3) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर

(4) संबंधित शासकीय विभाग (शासकीय विभाग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)

(5) अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. आवेदित भूमि ग्राम मंगेला, प.ह.नं. 72, तहसील पनागर जिला जबलपुर के खसरा क्रमांक 808/1 एवं 809/1/1 कुल रकवा 2.4412 हेक्टेयर भूमि पर पूर्व अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रमांक 902 से 908 जबलपुर, दिनांक 07.06.2023 के द्वारा अधिनियम, की धारा 16 के

अंतर्गत आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अनुज्ञा जारी की गई थी। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16(5) के अंतर्गत विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास में मार्गों का पुर्ननियोजन करते हुए संलग्न मानचित्र अनुसार उपांतरित विकास अनुज्ञा जारी की जाती है।

3. प्रश्नाधीन स्थल पर एवं आस पास की भूमियों के बरसाती पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था आवेदक को किया जाना अनिवार्य होगा।

4. उपरोक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में यदि स्थानीय संस्था, जबलपुर से संशोधित विकास अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह प्राप्त की जावे।

5. शेष शर्तें पूर्व में जारी विकास अनुज्ञा पत्र क्रमांक 902 से 908 जबलपुर, दिनांक 07.06.2023 के अनुसार यथावत रहेंगी।

(डॉ. अमित कुमार गजभिये)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

पृ0क्रमांक............/नग्रानि/एल/23/24.10.2024 जबलपुर, दिनांक .... /03/2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जिला-जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित।
2. संचालक (समन्वय), राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल के पत्र क्रमांक 1622 दिनांक 08.05.2023 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप पंजीयक, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सरपंच ग्राम पंचायत मंगेला, तहसील पनागर, जिला जबलपुर को ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

(डॉ. अमित कुमार गजभिये)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

न्यायालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जबलपुर (मध्य प्रदेश)

अ0वि0अ0(राजस्व)जबलपुर का प्रकरण कमांक/13/अ-89/13/2022-2023 जबलपुर दिनांक- 9 -05-2022

प्ररूप-2
(नियम-3(4)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिनांक- 9 -05-2022 रजिस्ट्रीकरण कमांक- 15 /22

प्रमाणित किया जाता है कि रमेश नायडू जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (कमांक-1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम-2014 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है,अर्थातः-

(1) श्री रमेश नायडू पिता स्व.श्री एस.व्ही.नायडू निवासी शांति नगर दमोह नाका सिंधी धर्माशाला के पास जबलपुर के निर्बन्धन तथा शर्ते,निम्नानुसार होगीः-

(1) यह रजिस्ट्रीकरण जबलपुर जिले की पंचायतों तक सीमित है।

(2) कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी।

(3) विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(4) आवेदक सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से बाध्य होगा।

(5) आवेदक अपने पते में हुये किसी भी परिर्वतन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(6) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसके जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैद्य होगा इसके पश्चात नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करनी होगी।

टिप्पणी-कालोनी का विकास,उसका विकास कार्य,भूखण्डों/भवनों का विकय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा,यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गयी है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / दण्डाधिकारी ★ जबलपुर ★

कलेक्टर
एवं सक्षम प्राधिकारी
जबलपुर (मध्य प्रदेश)

न्यायालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जबलपुर (मध्यप्रदेश)

प्रकरण कमांक/06/अ-89/13/24-25 जबलपुर दिनांक-3-3-2025

प्ररूप-5

(नियम-9(7)देखिए)

कालोनी विकसित करने हेतु अनुज्ञा

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993(कमांक-1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत(कालोनियों का विकास)नियम-2014 के अधीन एतद्‌द्वारा आवासीय कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

आवेदक श्री रमेश नायडू (**VENKET SAI PARISAR**) पिता श्री एस. बैकटराव नायडू 492, शांति नगर सिंधी धर्मशाला के पास दमोहनाका जिला जबलपुर को ग्राम-मंगेला, प०ह०नं०- 72, तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर-808/1 एवं खसरा नम्बर-809/1/1 कुल रकवा- 2.4412 हेक्टेयर, भूमि पर भूखण्डीय पर विकास कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान की जाती है:-

(1)मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959(कमांक-20 सन् 1959)के उपबंधों अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तो का पालन करना होगा।

(2)मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(कमांक-20 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तो तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर व्दारा जारी विकास अनुज्ञा कमांक- 902/ नग्रनि/एल/65/03.11.2021 जबलपुर, दिनांक-07/06/2023 के तहत जारी आदेश में लागू शर्तो का पालन करना होगा।

(3) विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा निम्न आय समूहों के लिए भू-खण्डों/भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही विकास कार्य करना होगा।

(5) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज नही समझा जावेगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने की दशा में यह अनुज्ञा स्वतःनिरस्त मानी जावेगी।

(6) कालोनी का बाहय विकास कार्य कालोनाईजर को ही करना होगा।

(7) यह अनुज्ञा जारी होने की तारीख से 3 वर्ष तक के लिए वैद्य है।

(8) विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कोई दस्तावेज कूट रचित,फर्जी अथवा गलत या किसी संस्था व्दारा विपरीत राय दी जाती है तो अधिनियम के अतंर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा अनुज्ञा स्वतःनिरस्त मानी जावेगी।

स्थान-जबलपुर

तारीख- 03-3-2025

कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी,
जबलपुर(म०प्र०)

प्रतिलिपिः-

1-उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर-2,जबलपुर की ओर नक्शा एवं बंधपत्र की प्रति सलंग्न है। पंजीकृत बंधपत्र व्दारा अवासीय भू-खण्ड कमांक- 61 से 67 रकवा-6484.19 वर्गफुट, भू-खण्ड कमांक- 92 रकवा- 1787.7 वर्गफुट, भू-खण्ड-106 से 113 रकवा- 8942.6 वर्गफुट, भू-खण्ड-115 से 118 रकवा- 2748.7 वर्गफुट, भू-खण्ड- 119 से 137 रकवा-17286.41 वर्गफुट, कुल भू-खण्ड संख्या-39, कुल रकबा-37249.50 वर्गफुटको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पंजीकृत न किया जावे।

2-तहसीलदार पनागर, जिला जबलपुर को नक्शे की प्रति सहित सूचनार्थ, सलंग्न नक्शे में उल्लेखित रोड, नाली,गार्डन आदि की भूमि के रकबे की पृविष्टि खसरें में अंकित करें, तथा उक्त बंधक भूखण्डों को खसरे के कालम नम्बर-12 में बंधक होने के रूप में दर्ज किया जावे।

3-आवेदक को सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी, कॉलोनी सेल * जिला जबलपुर *

कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी,
जबलपुर(म०प्र)

कलेक्टर,
एवं सक्षम प्राधिकारी,
जिला जबलपुर

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11052841053

ग्राम: मंगेला			पटवारी हल्का: मंगेला			तहसील: पनागर			जिला: जबलपुर		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151865 0234	808/1 (S)		1.1406 हेक्टेयर कृषि रु.11.98	रमेश नायडू पिता एस.बैकटराव नायडू पता सा.जबलपुर भूमि स्वामी					खरीफ धान	क्षेत्रफल सिं. 1.1410	न्या. उपखण्ड अधिकारी जबलपुर के प्रकरण क्र.0280/अ-2/2021-22 के आदेश के अध्यधीन दर्ज किया गया| (यह जमीन सिंचित है) न्याया.तह.पनागर वृत्त महाराजपुर के रा.प्र.क्र.1614/अ-6/2011-12/आ.दि.22-3-2012

लोक सेवा केन्द्र
31 JAN 2023
पनागर, जि. जबलपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11141834480

ग्राम: मंगेला			पटवारी हल्का: मंगेला 00125			तहसील: पनागर			जिला: जबलपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151865 0256 817NS4 DCRD1 RH0	809/1/ 1 (S)		1.3006 हेक्टेयर आवासीय रु.6503.00	रमेश नायडू पिता एस बैकटराव नायडू पता जबलपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						न्या. उपखण्ड अधिकारी जबलपुर के प्रकरण क्र.0280/अ-2/2021-22 के आदेश के अध्यधीन दर्ज किया गया| व्यपवर्तन की सूचना क्र. 22113586007 चालान क्र. 051/9999999/0029/11/24/041376 राशि रु. 54930 दिनांक 11/11/2024 निर्धारित अवधि उपरांत प्रविष्टि की गयी | (यह जमीन सिंचित है)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.12.14 16:12:27 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11141834480

रजिस्ट्री पेपर
3 पकड़

150 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

150 रु. Rs 150

भारत

एक सौ पचास रूपया ONE HUNDRED & FIFTY RUPEES

श्री गणेश जी सदा सहा सहाय करें
- - - - - - - - - - - - - - -

1::- बैनामा तादादी 6000) रूपया पर स्टाम्प ड्यूटी=240) रूपया

2::- बैयशुदा जायदाद जनपद क्षेत्र जबलपुर के अंदर है ।

3::- जनपद टैक्स 6000) पर - - - - - - - - - - - 30) रूपया

4::- कनसेन्ट स्टाम्प - - - - - - - - - - - - - - 1) रू050 पैसा

5::- ग्राम पंचायत मौजा मगेला तह0 जबलपर में है ।

6::- बैयशुदा जायदाद ब्लाक क्षाहे पनागर तह0 जबलपुर में है ।

7::- बेचने वाले के पास सीलिंग से कम जमीन है ।

जुमला स्टाम्प ==271)50 पैसा

नाम क्रेती::- सौ0 एस0 नरवदा बाई धर्मपत्नी श्री एस0 वैंकटराव जी नायडू
निवास स्थान 127 भारतीपुर वार्ड शहर जबलपुर वाली को ।

नाम विक्रेता::- श्री कन्हैयालाल आत्मज श्री कामता प्रसाद जी यादव निवास
स्थान 654 भारतीपुर वार्ड शहर जबलपुर वाले ने ।

नाम कनसेन्टर::- श्री हलकेराम आत्मज श्री रज्जूलाल जी यादव निवास स्थान
45/16 वेलबाग वार्ड शहर जबलपुर वालों ने । (2)

M884 N.J.S. [illegible] Rs. 2401-[illegible]

240-
30-
1.60
271.60

[illegible]

के द्वारा उप-जिला [illegible] जिला [illegible] के उप-पंजीयक के कार्यालय [illegible] तारीख [illegible] १९५[illegible] को [illegible] बजे प्रस्तुत किया गया।

[illegible]

विक्रेता: [illegible]

[illegible]

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ स्वीकार करते हैं कि यथाकथित [illegible] निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे/अंश रु० [illegible] अदा हो गये तथा [illegible] मेरी उपस्थिति में चुकाए गए हैं और [illegible] रकम [illegible] बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी। आज तारीख ....१९ .

[illegible]

पचास रुपया

५०रू. भारत INDIA 50Rs

FIFTY RUPEES

बिबरण विक्रय की हुई जायदाद का
- - - - - - - - - - - - - -

नाम मौजा	नं०ब०	ह०नं०	तह०	जिला	खा०नं०	रकबा	लगान	हक
मगेला	658	18		जबलपुर	157	3-22	13) रु0	भा०

मय भाड भाकूरों के सहित बैय की है

नाम खाता:- ऐरा वारा

जरे मावजा

5000) अंकन पांच हजार रुपया मैं विक्रेता आप क्रेती से ब्याने में कीमत पेटे नगदी पा चुका हूं वा 1000) अंकन एक हजार रुपया समक्ष उप पंजीयक महोदय जबलपुर के प्राप्त करूंगा इस तरह पर जुमला 6000) अंकन छः हजार रुपया दाम दाम चुकती भर पाऊंगा ।

यह कि मैं कन्सेन्टर तहरीर किये देता हूं कि उपरोक्त बिबरण की जायदाद का मालिक कामिल वा काबिज बिलदखल विक्रेता ही है वा विक्रेता ही मावजा ले रहा है मैं कन्सेन्टर कोई भी मावजा नहीं ले रहा हूं और इस जायदाद से मेरा किसी भी तरह का सरोकार नहीं है और न आयंदा रहेगा

जिला THE SEAL OF TH...

लेखा

बाबत ऐसी कि उपरोक्त बिबरण की जायदाद का मैं विक्रेता तनहा बिला शिराकत गैर के मालिक हूं चूंकि मुझे अपने धंधे की लागत के वास्ते रुपयों की जरूरत है वा आप क्रेती समय के लिहाज से जायदाद मजकूर की कीमत भी माकूल वा मुनासिब दे रही हैं साथ ही साथ मैं आप क्रेती को जायदाद मजकूर पर कब्जा दखल पहिले ही दे चुका हूं वा आप फसल भी बो चुकी हैं इस वास्ते आपके हक में बैनामा तहरीर कर देना लाजिमी वा जरूरी समझता हूं ।

[illegible]

[illegible]

की आज पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता की शिनाख्त ... की गई।

आज तारीख ५-१२-.....७३

उप-पंजीयक

द: कन्हैयालाल यादव

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
कन्हैयालाल के अंगूठे का
निशान मेरे समक्ष तारीख ५.१२
१९७३ को लिया गया।

उप-पंजीयक

द: हलकेराम

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
हलकेराम के अंगूठे का
निशान मेरे समक्ष तारीख ५.१२
१९७३ को लिया गया।

उप-पंजीयक

35Rs.

पैंतीस रुपया

३५रू. भारत INDIA 35Rs

THIRTY FIVE RUPEES

इस वास्ते मौजा मगेला नं0ब0 658 ह0नं0 18 तह0 व जिला जबलपुर की उपरोक्त विवरण की जायदाद को उपरोक्त मूल्य में बहक्क आप क्रेती को मय जुमला हक हकूक मालकाना के हमेशा हमेशा के वास्ते बैय कामिल कर आपको कब्जा दखल बहुत पहिले ही दे चुका हूँ वा आप काश्त करती चली आ रही हैं वा आज दिन तारीख रजि0 के वक्त से मालकाना भी दे दिया

अब बजाय मु0 विक्रेता के वा मु0 कन्सेन्टर के आप क्रेती विक्रय की हुई उक्त विवरण की जायदाद की पूर्ण मालकाना हक हकूक के साथ मालिक कामिल वा काबिज दखील हो चुकीं।

अब आप क्रेती को हक है कि विक्रय की हुई जायदाद पर आप अपना नाम बतौर मालिक के कुल सरकारी पत्रों में दर्ज करा लेना वा हम लोगों का नाम जायदाद की मालिकी से खारिज करा देना जो चाहे सो करना या दीगर किसी भी तरह पर मुन्तकिल करना मु0 विक्रेता को विक्रय की हुई जायदाद से तारीख रजि0 के वक्त से ही वा आयंदा भी किसी भी तरह का सरोकार नहीं रहा।

यह कि विक्रय की हुई जायदाद कहीं भी रहिन, बैय, बखशिश या दीगर किसी भी तरह पर मुन्तकिल नहीं है और उसपर हकदारी, जमानतदारी, कुड़की, नीलाम, बकाया लगान, अब्वाब, बैंक तकावी, वा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी किस्म का बार बाकी नहीं है काश बाकी निकला तो तारीख रजि0 के पहिले का कुल वा हर किस्म का देना चुकाने का मैं

पैंतीस रुपया

भारत INDIA

३५रू. THIRTY FIVE RUPEES 35Rs.

विक्रेता देनदार वा जिम्मेवार रहूँगा ।

कशा बाद बैय हाजा के बैयशुदा जायदाद का कुल या जुज मु० विक्रेता के हक हकूक की खामी की वजह से आप क्रेती के कब्जा दखल मालकाना से निकल जावे तो बकदर निकली हुई जायदाद का जरे मावजा नुकसानी वा आयंदा तरक्की की हर किस्म की लागत मु० विक्रेता की दीगर वा हर किस्म जायदाद वा जात खास से वसूल करने का आप क्रेती को हमेशा हमेशा हक होगा ।

यह कि इस जायदाद की खरीदी में वा बैनामा की लिखा पढी में कुल खर्च आप क्रेती का ही लगा है ।

इस बैनामा की लिखातम की पाबंदी मु० पर आप पर मेरे वा आपके मौजूदा वा आयंदा वारसान जानशीनान वा कायम मुकामान पर हमेशा हमेशा होगी ।

कशा वादबैय हाजा के मेरी बैय की हुई जायदाद की बाबत या इस लिखातम की बाबत कोई भी शख्स कभी भी, कहीं भी किसी भी किस्म का उजर या दावा करे तो बमुकाबिले इस तहरीर के नाजायज वा झूठ होगा ।

1 R. 50 n P

INDIA

एक रुपया पचास नये पैसे

एक रुपया पचास नये पैसे

ONE RUPEE भारत FIFTY NAYE PAISE

(5)

लिहाजा यह बैनामा मु॰ विक्रेता नें वा मु॰ कनसेन्टर ने खुद पढकर मंजूरकर रूबरू गवाहान के साथ राजी खुशी के बहक्क आप क्रेती के प्रथम व अंतिम तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे दिनांक 5/12/73 लेखक:- [illegible]

हस्ताक्षर विक्रेता के

ह: [illegible]

हस्ताक्षर कनसेन्टर के

ह: [illegible]

गवाह:- [illegible]

गवाह:- [illegible]

[illegible]

750Rs.

INDIA NON JUDICIAL

रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

रजिस्ट्री पेपर 5 पृष्ठ

श्री गणेश जी सदा सहाय करें

1::- बिनामा तादादी वास्तविक मूल्य ------ 4907) रु050 पैसे ।

2::- बाजार भाव मूल्य 10000) रुपया पर स्टाम्प डियूटी ----700) रुपया ।

3::- विक्रय शुदा जायदाद जनपद क्षेत्र पनागर, तहसील जबलपुर के अंदर है ।

4::- जनपद डियूटी ---------------------------------- 100) रुपया ।

5::- उपकर डियूटी ---------------------------------- 35) रुपया ।

योग स्टाम्प - 835) रुपया

6::- ग्राम पंचायत मौजा मगेला रा0नि0मं0 जबलपुर नं0 2 बिकास खंड पनागर तहसील व जिला जबलपुर के अंतर्गत है ।

7::- बिक्रय की हुई भूमि असिंचित एवं एक फसली है ।

8::- क्रेता व बिक्रेता के पास सीलिंग सीमा से कम जमीन है ।

9::- बिक्रय की हुई कृषि भूमि भू.अ0 एवं ऋण पुस्तिका भाग । क्रमांक ई-874753 नं0 में दर्ज है ।

नाम क्रेता

श्री एस0 रमेश कुमार नायडू उर्फ साई गोपाल नायडू आयु 15 वर्ष ना0बा0 वल्द व बली श्री एस0 डी0 नायडू वल्द श्री स्वर्गीय एस0 एन0 नायडू निवासी 127 गलगला वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर वाले खरीदार को ।

-शिवधामसिंह--

23/4/86

(2)

१ ५२० +

1 FEB 1986

मुद्रांक शुल्क 600
जनपद शुल्क १००
नगर निगम/नगर पालिका ....
उपकर ३५
अति रक्त ....
कुल योग ७३५.००

23 APR 1986
2/10

40 R

चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

४०रु. FORTY RUPEES 40RS

नाम विक्रेता गण

(1) श्री शिवधाम सिंह आयु 25 वर्ष बालिग, पिता श्री स्व० रणधीर सिंह राजपूत

(2) श्री मती मीराबाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री स्व० रणधीर सिंह राजपूत

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह आयु 12 वर्ष नाबालिग, पिता श्री स्व0 लोकमन सिंह राजपूत नाबालिग की बली हकीकी मां श्री मती कुसुमबाई बेवा श्री स्व० लोकमन सिंह राजपूत

(4) श्री मती कुसुमबाई वृद्ध आयु 40 वर्ष बेवा श्री स्व0 लोकमन सिंह राजपूत दा० साकिनान मौजा सूरतलाई तहसील व जिला जबलपुर बेचने वालों ने।

विवरण विक्रय शुदा जायदाद का

ग्राम मगेला नं०बं० 658 प०ह०नं0 18, तहसील व जिला जबलपुर की कृषि भूमि खसरा नं0 104/1 का कुल रकबा 2-640 हे0 याने 6-52 एकड जमीन, लगान 26)75 पैसे, में से इस बैनामें के जरिये विक्रय किया रकबा सिर्फ 0-525 हे0 जमीन याने 1-30 एकड जमीन लगान 5) रुपया हक भूमिस्वामी की जमीन को मय झाड पेड के सदैव के लिये विक्रय की है। नाम खेत बटार का हिस्सा, जोकि क्रेता श्री रमेश कुमार नायडू की ही जमीन से लगी हुई हैं।

जरे मावजा:- 4907) रु0 50 पैसे अंकन चार हजार नौ सौ सात रुपया पचास पैसे बेची जमीन का वास्तविक मूल्य हम विक्रेता गण आप क्रेता से जरिये इकरारनामा के प्राप्त कर चुके हैं वा इस बैनामा में भी वास्तविक मूल्य का प्राप्त होना हम समस्त विक्रेता स्वीकार करतें हैं।

यह कि दिनांक 13-1-86 को उक्त जमीन को बेचने की मंजूरी प्राप्त करने की दरखास्त कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन जबलपुर म0प्र0 के यहां प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 21-1-86 को स्वीकृत हो चुकी है और हमें मत क्रमांक 405 प्राप्त हो चुका है मत में बेची जमीन निवेश क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र बताया गया है बेची जमीन पडत नहीं है लगातार कास्त होती चली आ रही है वा बैनामा के साथ मत तथा खसरा पांच साला की नकल संलग्न है।

शिवधाम सिंह

40 Rs.

चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

४० रु. FORTY RUPEES 40 Rs.

बिक्रय पत्र का लेख

बाबत ऐसी कि उपरोक्त बिबरण की बिक्रय की हुई जमीन के अतिरिक्त और भी जमीन के हम समस्त बिक्रेता शामिल शरीक मालिक कामिल वा काबिज दखील हैं यह संपत्ति हमारी पुस्तैनी (खानदानी) जायदाद है और हमें इसे बेचने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

चूंकि हम बिक्रेताओं को अपनी अपनी जायज व जरुरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रुपयों की जरुरत थी इस कारण हम समस्त बिक्रेता आप क्रेता से बेची जमीन का वास्तविक मूल्य जरिये इकरारनामा के ही प्राप्त कर चुके हैं अब आप क्रेता तफसील जैल जमीन का रजि० शुदा बैनामा कराना चाहतें हैं।
इसलिये हम बिक्रेता शामिल शरीक होकर आप क्रेता के हक में यह बैनामा तहरीर करतें हैं।

इस वास्ते मौजा मगेला नं०बं० 658 हं०नं० 18 तह० व जिला जबलपुर की उपरोक्त बिबरण की कास्तकारी भूमि को उपरोक्त मूल्य में, बहक्क आप क्रेता के मय जुमला हक हकूक मालकाना के वा हक निस्तार के सहित, सदैव के लिये बैय कामिल कर, अपना कबजा दखल दिनांक 12-8-1980ई० ता० तहरीर इकरारनामा के समय से ही उठाकर आप क्रेता के अस्थाई कबजा दखल में जमीन बैय शुदा दे चुकें हैं वा ता० रजि० इस बैनामा के समय से बिक्रय शुदा जमीन पर स्थाई कबजा दखल एवं मालिकाना हक भी दे दिया।
अब बजाय हम बिक्रेताओं के आप क्रेता मालिकाना काबिज हुये।

अब आपको हक है कि अपना नाम कुल शासकीय अभिलेखों में बहैसियत मालिक के दर्ज करा लेवें, निज इच्छानुसार उपयोग उपभोग में लावें जो जी चाहे सो करें या दीगर किसी भी तरह पर हस्तान्तरण करें हम बिक्रेताओं को बिक्रय शुदा रकवा 0-525 हे० याने 1-30 एकड जमीन से ता० रजि० इस बैनामा के समय से ही वा भविष्य में भी अब-कोई सरोकार वा वास्ता नहीं रहा।

यह कि जमीन कहीं भी किसी भी तरह पर मुन्तकिल नहीं की है हर तरह के वार किफालातों से बिलकुल साफ पाक है।

काश बाद बैय होजा के बैय शुदा जमीन पूरी या उसका अंश हम बिक्रेताओं के हक हकूक में खामी होने के कारण वस आपके कबजा दखल मालकाना हक एवं अधिकार से निकल जावे तो निकली जमीन का जरे मावजा नुकसानी वा आयंदा तरक्की की हर किस्म की लागत हम समस्त बिक्रेताओं की दीगर शेष बची जायदाद चल वा अचल से वा जात खास से वसूल करने का आप क्रेता को सदैव हक रहेगा।

[illegible signature]
२३।८।८९

२४४० 3 रुपया ...

① शिवश्याम S/o रणधीर सिंह

② मीराबाई w/o रणधीर सिंह

③ नाबा. रूपेन्द्र सिंह S/o लक्ष्मण सिंह वली एवं

④ स्वयं के कुसुमबाई w/o लोकमन राजपूत

मूरतलाल

... में आवेदक ... स्वीकार करते हैं कि तथाकथित विलेख को निष्पादित किया गया था और प्रतिफल के पूरे/आंशिक रु० ....2506/- (शब्दों में) ... प्राप्त हो गये थे ... (शब्दों में) ... मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं। और प्रतिफल की बकाया रकम रु० .... बाकी रही है जो रजिस्ट्रेशन के बाद चुकाई होगी। ... तारीख ...

[illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

... आज पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता की शिनाख्त के विषय में की गई।

आज तारीख 198

23 APR 1986

उपपंजीयक

5 Rs

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

इस बेनामा की कुल शर्तों की पाबंदी हम बिक्रेताओं पर आप क्रेता पर स्वंय हमारे वा आपके मौजूदा वा आयंदा वारसान जानशीनान वा कायम मुकामान पर हमेशा हमेशा होगी ।

अतएव यह बेनामा (बिक्रयपत्र) हम चारों बिक्रेताओं ने पढवाकर, पढकर, अच्छी तरह सुनकर, समझकर, मंजूरकर, पूर्ण स्वस्थ हालत में, रू बरू गवाहान के साथ राजी खुशी के तहरीर किया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवे दिनांकः- 28-2-1986 ई० दिन शुक्रवार प्रारूप कर्ताः- नागेन्द्र कुमार पाठक 174 लार्डगंज वार्ड जबलपुर। नागेन्द्र कुमार पाठक;

हस्ताक्षर बिक्रेता गण।

शिव चरणसिंह
23/8/86

सही निः अं. मीराबाई राजपूत

सही व निः अं. कुसुमबाई राजपूत की खुद वहैसियत बली भूपेन्द्र सिंह की ओरसे;

लि. द. नागेन्द्र पाठक

गवाह (1) नामः अंगद प्रसाद वल्द : बालाराम पताः सूरतलाई

गवाह (2) नामः सूरजप्रसाद वल्द : रामफल पताः अढ़िफाटक

1– दस्तावेज लेखक – नागेन्द्र कुमार पाठक
2– लायसेंस क्रमांक – 90
3– स्थान उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर
4– निष्पादन का नाम – एस. रमेशकुमार उर्फ साईगोपाल नायडू;
5– पंजी में क्रमांक – 6/32
6– फीस 50 रु:

हस्ताक्षर लेखक

नागेन्द्र पाठक

२८-२-८६

४ रणजीत सिंह राजपूत
तह. जिला जबलपुर
पाठवं

शिवप्रतापसिंह

रवि कुमार
स्टाम्प
कलेक्टरेट, जबलपुर

निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
अंगूठे का निशान
मेरे समक्ष ता: 23 APR 1986
को लिया गया।

उप-पंजीयक

B.Y. Bhole

ओमप्रकाश

निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
अंगूठे का निशान
मेरे समक्ष ता: 23 APR 1986
को लिया गया।

उप-पंजीयक

निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
अंगूठे का निशान
मेरे समक्ष ता: 23 APR 1986
को लिया गया।

उप-पंजीयक

23 APR 1986
आज तारीख ....
198 की पुस्तक क्रमांक ..
पृष्ठ ४३२२ से पृष्ठ ..1712..
क्रमांक .... पर पंजीबद्ध
किया गया। ४३६

उप-पंजीयक

		रु०	पै०
पंजीयन शु०	..	१०८	
शु०		१	00
नै० शु०	...	२	00
पु० शु०	....	१	00
ज्ञा० शु०	..		
अन्य शु०			
कुल योग		१०८	

उप-पंजीयक

कार्यालय तहसीलदार पनागर — आवक क्र. 6123/12

न्यायालय - तहसीलदार पनागर

प्रकरण क्रमांक - 1614/अ-6/2011-12

आवेदक - रमेश नायडू

ग्राम - मंगेला

सत्यप्रतिलिपि - प्रकरण में संलग्न आर्डरशीट दिनांक 22/3/12 को प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि

II—156

Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22/3/12	प्रकरण पेश आवेदक उपस्थित इश्तहार पेपर विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित पेपर विज्ञप्ति की प्रति संलग्न / कोई आपत्ति प्राप्त नहीं / आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया है कि मौजा - मंगेला प.ह.न. नं० 21 स्थित भूमि खं.नं. 808, रकबा - 1.28 हे० भूमि उसके पिता स्व. वेंकटराव नायडू पिता - रघुनाथ भूषण साकिन जबलपुर के नाम से शासकीय रिकार्ड में दर्ज है / उसने विवरण दिया है कि उसके पिता स्व. वेंकटराव नायडू का स्वर्गवास दिनांक 9.2.2011 को व माँ नर्मदा बाई नायडू का निधन हो चुका है / प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि उक्त भूमि मौजा - मंगेला प.ह.न. 21 स्थित	कोर्ट फी Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY (×8) CANCELLED

प्रतिलिपि ... अधिकारी, तहसील कार्यालय पनागर, जबलपुर

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
	ख०नं० 808 रकबा - 1.28 हे०क्षे. वेंकटराव नायडू वल्द एस. नागभूषण के नाम पर भूमिस्वामी दर्ज है। यह कि एस. वेंकटराव नायडू का स्वर्गवास हो गया है इनके वारिस, पुत्र - रमेश ~~नायडू~~ नायडू, पुत्री - विजय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, तिलोत्मा नायडू, धर्मा नायडू, निर्मला नायडू हैं पत्नि का पूर्व में ही स्वर्गवास हो गया है। प्रकरण में एस. वेंकटराव नायडू के उक्त वारसानों ने शपथ पत्र पेश किया है कि हमारे पिता एस वेंकटराव नायडू की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर दर्ज मौजा - मंगेला पटवारी हल्का नंबर। स्थित भूमि ख०नं० 808 रकबा 1.28 हे० भूमि से पिताजी एस वेंकटराव नायडू का नाम काटकर हमारे भाई रमेश नायडू पिता स्व. एस वेंकटराव नायडू सा० 412 शांति नगर जबलपुर के नाम, शासकीय रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाये हमको कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हम सभी उक्त निर्णय से सहमत है।

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

प्रकरण में पेश, संलग्न पटवारी
रिपोर्ट व भूस्वामी स्व. वेंकटराव नायडू
के वारसानों द्वारा दिये गये शपथ पत्र
जो कि प्रकरण में संलग्न है। का अवलोकन
उपरांत न्यायालय द्वारा यह निर्णय
लिया जाता है कि मौजा: मंगेला प.ह.
नं. 21 स्थित भूमि ख.नं. 608 रकबा
1.28 हे. भूमि के फौत हो चुके स्व.
वेंकटराव नायडू पिता: स्व. नागभूषण
का नाम काटकर, उनके पुत्र रमेश
~~नायडू~~ नायडू पिता स्व. स्व. वेंकटराव
नायडू सा. 412 शांतिनगर जबलपुर
का नाम दर्ज किये जाने हेतु
आदेश दिया जाता है। पटवारी
रिकार्ड दुरुस्त होकर प्रकरण
~~अभिलेख~~ नस्ती हो अभिलेख
कोष्ठ में जमा हो।

तहसीलदार
पनागर

प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
तहसील कार्यालय पनागर
जबलपुर

CANCELLED

प्रारूप क्रमांक – 6
(नियम–8 देखिए)

मध्य प्रदेश शासन
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

पुस्तक क्र.

109214

मृत्यु प्रमाण–पत्र

(धारा 12 / 17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख जो ....

रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र) न. नि. ज.

तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

राज्य म.प्र. के रजिस्टर से ली गई है।

नाम एस वेंकटरावनायडू पिता / पति का नाम नागभूषणरावनायडू

लिंग पुरुष मृत्यु दिनांक 9/2/2011 मृत्यु स्थान डा० जामदार अस्पताल

मृतक का पता 492 शांतिनगर जबलपुर दमोहनाका

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 102 रजिस्ट्रीकरण दिनांक 14/2/11

रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
मुहर

उप रजिस्ट्रार
(जन्म मृत्यु) सं. क्र.
नगर निगम जबलपुर

जावक क्रमांक 123 दिनांक 22/2/2011

प्रारूप संख्या 5
(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश शासन
(योजना, आर्थिक ए...
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

नगर पालिक निगम, जबलपुर

मृत्यु प्रमाण-पत्र

(जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969, की धारा 12/17 के आधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है। यह जानकारी म.प्र.राज्य के जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील के नगर पालिक निगम, जबलपुर के रजिस्टर में दर्ज है।

नाम	नरबदा बाई
लिंग	स्त्री
पिता/पति का नाम	एस.वी.नायडू
मृत्यु दिनाँक	17/10/1975
	सत्रह अक्तूबर उन्नीस सौ पचहत्तर
मृत्यु स्थान	सेठ गोविंद दास चिकित्सालय (विक्टोरिया)
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	375912598
रजिस्ट्रीकरण दिनाँक	30/10/1975

दिनाँक : 31/10/2007

मुद्रा

जारी करने वाले प्राधिकारी
नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक ____________

Check by me.